



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44315

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 894 वर्ष 2026

जय प्रकाश और एक अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : शिव प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव प्रताप सिंह तथा राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल को सुना।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दाखिल की गई है:-

"1. प्रत्यर्थी संख्या 2 को पुनरीक्षण संख्या 3680 वर्ष 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या **AL20251509003680** (विवेकानंद बनाम वीरेंद्र कुमार और अन्य) को, इस माननीय न्यायालय द्वारा नियत की गई निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से निर्णीत करने का निदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।"

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल पूर्वोक्त पुनरीक्षण प्रत्यर्थी संख्या 2-राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/प्रयागराज के समक्ष 3.8.2025 से लंबित है। उन्होंने आगे लंबित कार्यवाही के आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की, जिसे यह प्रदर्शित करने के लिए रिट याचिका में अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न किया गया है कि मामले की कार्यवाही शीघ्रता से नहीं चल रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मुद्दे के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2-राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः चार माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार पूर्वोक्त पुनरीक्षण संख्या 3680 वर्ष 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AL20251509003680 को शीघ्रता से निर्णीत करने का निदेश दिया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

पीएस*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।